



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-2170/MH/75/2023-ESDW (RU-I)

दिनांक: 25.04.2025

श्री विवेक फणसाल्कर,
पुलिस आयुक्त, मुंबई,
महाराष्ट्र सरकार,
पुलिस आयुक्त का कार्यालय,
डी. एन रोड, क्रॉफर्ड मार्केट के सामने,
मुंबई, महाराष्ट्र 400001
ई-मेल: cp.mumbai@mahapolice.gov.in
dcpzone5-mum@mahapolice.gov.in

श्री राजेंद्र शंकर क्षीरसागर,
कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, मुंबई-उप-नगर,
कलेक्टर कार्यालय मुंबई उपनगरीय जिला,
10वीं मंजिल, प्रशासनिक भवन, चेतना कॉलेज के पास,
सरकारी कॉलोनी, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.mumbaisuburb@maharashtra.gov.in

डॉ. महेंद्र कल्याणकर,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्लम पुनर्वास प्राधिकरण, मुंबई
महाराष्ट्र सरकार, प्रशासनिक भवन,
अनंत कानेकर मार्ग,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051, महाराष्ट्र
ई-मेल: ceo@sra.gov.in

विषय: आदिवासी की जमीन पर जबरन कब्जा करने के संबंध में श्री दत्ताराम रामचन्द्र बिरारी, अध्यक्ष, आदिवासी विकास संस्था, भागीबाई बिरारी चाल, कोकणी पाडा, कुरार विल्लेज, मालाड (पूर्व), मुंबई-97 से दिनांक 23.08.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 24.04.2025 (प्रति संलग्न)।

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 05.05.2025 को दोपहर पश्चात् सिटिंग निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।


(आर. के. दुबे)
उप-निदेशक

ई-मेल: rk.dubey@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री दत्ताराम रामचन्द्र बिरारी,
अध्यक्ष, आदिवासी विकास संस्था,
भागीबाई बिरारी चाल, कोकणी पाडा,
कुरार विल्लेज, मालाड (पूर्व), मुंबई-97, महाराष्ट्र
ई-मेल: adiswarajya@gmail.com